(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2018

सा.का.नि. (अ).–एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 669 (अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा :-

सारणी

क्र.सं.	**टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**माल का विवरण**	**माल का आपूर्तिकर्त्ता**	**माल का प्राप्तकर्त्ता**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

(फाइल संख्या 354/124/2018-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 669 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 45/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1394 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।